उच्च न्यायालय

बनाम

ओ. आर. एस. का संघ

(सिविल अपील संख्या 717/2006)

14 दिसंबर, 2016

[टी. एस. ठाकुर, सी. जे. आई., डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और ए. नागेश्वर राव, जे.जे.]

भारत का संविधान - कला. 226 - क्षेत्राधिकार - सार्वजनिक हित - उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया - सांगानेर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के उल्लंघन के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर - इसके बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दिनांक 1.5.2002 को जारी एक परिपत्र द्वारा, केंद्र सरकार ने कुछ श्रेणियों को छूट दी देश के नागरिक हवाई अड्डों पर "वीवीआईपी/वी!पीज़" को जहाज पर चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी जाए - उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जहाज पर चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच से छूट देने का अनुरोध किया - इसके बाद उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी छूट की सूची में शामिल किया गया था व्यक्ति - उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को शामिल करने का निर्देश दिया उच्च न्यायालयों ने परिपत्र दिनांक 1.5.2002 में संशोधन करके चढ़ाई पूर्व सुरक्षा जांच से छूट वाले व्यक्तियों की सूची में - उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए कुछ सुझाव भी तैयार किए - अपील पर, आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय ने, कला के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करके। 226 स्वतः संज्ञान लेकर और निर्देश जारी करके, न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर बुद्धिमान और स्वयं लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है उच्च

न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की वैधता से परे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए सुझाव तैयार करके-न्यायिक पुनर्विलोकन कार्यकारी कार्रवाई की वैधता से संबंधित है और अदालत केवल वहां हस्तक्षेप कर सकती है जहां कानून का भंग या संविधान का भंग होता है-सुरक्षा के मामले सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मिला जाने चाहिए-सुरक्षा नीति का निर्माण उन सूचनाओं और इनपुट पर आधारित है जो अदालत को उपलब्ध नहीं हैं-अदालत ऐसे मामलों में विशेषज्ञ नहीं है-ऐसा भी नहीं था

जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पर सुरक्षा भंग के संबंध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया और एक जनहित याचिका पंजीकृत की गई।

याचिका लंबित रहने के दौरान, व्यवहार उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा दिनांकित एक परिपत्र द्वारा वी. वी. आई. पी./वी. आई. पी. की कुछ श्रेणियों को व्यवहार व्यवहार हवाई अड्डों पर उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई थी। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के महापंजीयक ने संबंधित मंत्रालय से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशाधीश को उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट देने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने अनुरोध मान लेना से इनकार कर दिया।हालांकि, बाद में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को उन व्यक्तियों की सूची में शामिल करने का निर्देश देने वाली याचिका का निपटारा किया, जिन्हें यात्रा से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई थी। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए कुछ सुझाव भी तैयार किए और सरकार को इस पर विचार करने का निर्देश दिया। वे अपील प्रस्तुत करते हैं।

स्थानांतरण याचिका (जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील के हस्तांतरण की मांग की गई थी) में भी उच्च न्यायालय ने व्यवहार उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए कुछ टिप्पणियां कीं जो शामिल मुद्दे से असंबंधित थीं।

न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 717/2016 को स्वीकार करते हुए स्थानांतरण याचिका (सी) संख्या 75/2012 का निपटारा करते हुये अभिनिर्धारित किया गया :

1.1 उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करके और निर्देश जारी करके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर 'विवेकपूर्ण और स्वयं लगाए गए' प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है। इसके अधिकारिता को स्वतः संज्ञान लेने का कारण सांगानेर हवाई अड्डे पर सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट थी। सुरक्षा के मामलों को सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जो ऐसा करने के लिए कर्तव्य और दायित्व के साथ निहित हैं। खुफिया जानकारी एकत्र करना, सुरक्षा नीतियों का निर्माण करना, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से उत्पन्न होने वाले खतरों का सामना करने के लिए कदम उठाने पर निर्णय लेना ऐसे मामले हैं जिन पर अदालतों में विशेषज्ञता की कमी है। सांगानेर हवाई अड्डे में सुरक्षा का भंग निस्संदेह गंभीर चिंता का विषय था और अपराधी पर मुकदमा चलाने और इस तरह की सुरक्षा चूक के कारणों और प्रभावों में फिर से विचार करके दोनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई होगी।यह अभ्यास अधिकारियों को करना था।न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालत के लिए ऐसी नीति का सुझाव देना उचित नहीं था जिमें वह उचित समझता हो।[पैरा 9] [715-जी-एच; 716-ए-बी]

1.2 राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सुझावों का निर्माण न्यायिक पुनर्विलोकन के वैध क्षेत्र से बहुत आगे निकल गया।ऐसी नीति का निर्माण उन सूचनाओं और सूचनाओं पर आधारित होता है जो न्यायालय को उपलब्ध नहीं होती हैं। अदालत ऐसे मामलों में विशेषज्ञ नहीं है। न्यायिक समीक्षा कार्यकारी कार्रवाई की वैधता से संबंधित है और अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कानून का भंग हो या संविधान का भंग हो।[पैरा 9] [716-सी]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई प्रकृति का स्वतः संज्ञान अभ्यास कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है।कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र में, सरकार विधायिका के प्रति और उसके माध्यम द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियाँ इतनी चौड़ी हैं कि वे कहीं भी अन्याय तक पहुँच सकती हैं जहाँ से यह उत्पन्न हो सकता है।इन शक्तियों को उदारतापूर्वक समझा गया है और व्यापक रूप से लागू किया गया है जहां मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।लेकिन, अन्याय की धारणा कानून के तहत न्याय से संबंधित है।न्यायाधीश किसी निर्णय निर्माता की व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर नहीं किया जाना चाहिए कि संतुलनकारी समाधान कहां होना चाहिए।न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे मानकों को लागू करें जो उद्देश्यपूर्ण और कानून द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित हैं और संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित हैं।जब वे ऐसा करते हैं, तो न्यायाधीश पथ पर अच्छी तरह से यात्रा करते हुए चलते हैं।जब न्यायाधीशिक रचनात्मकता न्यायाधीशों को न्यायाधीश की तलाश में कम यात्रा करने के लिए प्रेरित करती है, तो वे अभी भी कानून और संविधान में दृढ़ रूप से निहित हैं।न्यायिक शक्ति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति के भीतर और बाहर क्या है, इसके बीच का अंतर आवश्यक है।न्यायिक शक्ति का सम्मान किया जाता है और कानून के नियम पर आधारित एक प्रणाली में इसका पालन किया जाता है, ठीक

इसके सूक्ष्म और संयमित अभ्यास के लिए।यदि गंभीर प्रतिबंधों को बनाए नहीं रखा जाता है, तो एक संस्था के रूप में न्यायालय एक ऐसे क्षेत्र पर अतिक्रमण की न्यायोचित आलोचना को आमंत्रित करेगा, जिस पर अकेले विशेषज्ञता का अभाव है और जिसे सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों को शासन के लिए सौंपा गया है।निर्णयों को लागू किया जाता है, सर्वोपरि इस विश्वास के कारण कि एक लोकतांत्रिक समाज के शासन के हथियार न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता में हैं।यह पवित्रता संस्थागत सम्मान पर आधारित है।न्यायिक शक्ति के एक सुनियोजित प्रयोग के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता द्वारा संस्थागत प्राधिकरण लंबे वर्षों में स्थापित किया जाता है।परिणामों का डर एक कारण है कि नागरिक कानून के साथ-साथ न्यायिक निर्णयों का भी पालन करते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने के कहीं अधिक मजबूत कारण हैं और इसकी नींव को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।यही इस सिद्धांत का तर्क है कि न्यायिक समीक्षा उन मामलों तक सीमित है जहां कानून या संविधान का भंग होता है।[पैरा 10) [716-डी-एच; 717-ए-बी)

1.4 जब तक राजस्थान उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा था, तब तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उन व्यक्तियों की सूची में शामिल करने के लिए छूट की सूची में संशोधन कर दिया गया था जिन्हें पूर्व-प्रस्थान सुरक्षा से छूट दी गई थी। यह मानते हुए भी कि इस तरह के मामले में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप पहली जगह में शामिल किया जा सकता था, मामला वहीं रुकना चाहिए था।जिस कारण के लिए स्वतः संज्ञान याचिका दर्ज की गई थी, उसे पीछे छोड़ दिया गया था और जिस प्रकरण के कारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान मिला था, उसे अंतिम दिशाओं में कोई जगह नहीं मिली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल करने का निर्देश उस आधार से असंबंधित था जिस पर अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता को लागू किया गया था।[पैरा11)[717-सी-डी]

1.5 सुरक्षा के मामले प्रतिष्ठा के वाद प्रश्न नहीं हैं।वे 'स्थिति' के मामले नहीं हैं।केंद्र सरकार ने यह रुख अपनाया है कि यह मुद्दा कि क्या प्रवेश से पहले सुरक्षा छूट दी जानी चाहिए, केवल प्राथमिकता के वारंट पर निर्भर नहीं करता है।जिन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, उनमें से एक यह है कि जिस व्यक्ति को विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई है, सरकार के अनुसार, उसे 24x7 आधार पर सरकारी सुरक्षा के ऐसे स्तर से सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो किसी भी प्रतिबंधित खतरनाक वस्तुओं को विमान में उनके या उनके सामान के माध्यम से लाने की संभावना को लगभग रोक देगा।केंद्र सरकार की सुरक्षा धारणा यह है कि किसी गणमान्य व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जा सकती है यदि वह 24x7 आधार पर प्रभावी सरकारी सुरक्षा कवरेज के तहत नहीं है।भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों को पारस्परिक आधार पर प्रस्थान से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई है। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा धारणाओं के विचारशील मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें उस तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकारिता का प्रयोग किया था।[पैरा 11) [717-ई-जी, एच; 718-ए]

स्थानांतरण याचिका (सी) क्रमांक 75/2012 :

2. स्थानांतरण याचिका के अभिलेख में संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने विशेष अपील के दौरान यह सुनिश्चित किया है कि व्यवहार उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को नोटिस जारी करते समय टिप्पणियाँ।चूँकि उच्च न्यायालय ने इन टिप्पणियों को एक ऐसे मामले में किया है जो विशेष अपील में शामिल मुद्दे से असंबंधित है, इसलिए उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा।[पैरा 14] [718-डी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 717 2006.

राजस्थान उच्च न्यायालय, के डी. बी. सिविल रिट की याचिका संख्या 518 ऑफ 2000 (पीआईएल) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.05.2005 से ।

के साथ

टी. पी. (सी) क्रमांक का 75/ 2012 .

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, सुश्री माधवी दीवान, सुभाष सी. आचार्य, करण सेठ, बी. के. प्रसाद,अंश सिंह लूथरा, सुश्री निधि खन्ना, Mrs. अनिल कटियार, सुश्री सुषमा सूरी, अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए

एस. एस. शमशेरी, ए. एएजी अमित शर्मा, प्रतीक यादव, अंकित राज, अरुणेश्वर गुप्ता, सुश्री सुषमा सूरी, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय, न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई.चंद्रचूड़, द्वारा पारित किया गया :

1. राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ अपने 3 मई 2005 के निर्णय द्वारा केंद्र सरकार और व्यवहार उड्डयन और गृह मंत्रालयों में उसके सचिवों को हवाई अड्डों पर "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को विमान में उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची में शामिल करने" और व्यवहार उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बी. सी. ए. एस.) के 1 मई 2002 के परिपत्र 12 के परिपत्र में संशोधन करने का निर्देश जारी किया।इस अभ्यास को तीस दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा नीति' तैयार करने के लिए उसके द्वारा तैयार किए गए कुछ सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए।भारत संघ ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत का रुख किया। 20 जनवरी 2006 को अनुमति दी गई और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी अनुमति

2. उच्च न्यायालय के समक्ष मामला 1 फरवरी 2000 को राजस्थान पत्रिका के दैनिक संस्करण में प्रकाशित एक रिपोर्ट से उत्पन्न हुआ, जिसमें जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के भंग की बात कही गई थी।8 फरवरी 2000 को, एक व्यक्ति जिसे मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी, उसे हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा छह जीवित कारतुस के साथ एक रिवॉल्वर ले जाने के लिए हिरासत में लिया गया था।उनके पास हथियारों का लाइसेंस था जिसकी अवधि मृत्यु हो चुकी थी।यात्री को पकड़ने के बाद उसे सांगानेर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया जहां रिवॉल्वर और जिंदा कारतुस जब्त कर लिए गए और शस्त्र अधिनियम के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।यात्री ने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया और ड्यूटी अधिकारी को चकमा देने के बाद मुंबई के लिए निर्धारित विमान में सवार हो गया।शस्त्र अधिनियम की धारा 21 और 13 के उल्लंघन के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और अंततः संगानेर में प्रथम श्रेणी के व्यवहार न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया और एक हजार रुपये की सजा सुनाई गई।आरोपी ने जुर्माने का भुगतान किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में, आप्रवासन ने इस अदालत के समक्ष कहा, रिवॉल्वर और जीवित कारतुस जारी किए गए।सुरक्षा के लिए इतना।

3. राजस्थान उच्च न्यायालय ने समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया और एक जनहित याचिका पंजीकृत की गई।सुनवाई के दौरान, खण्ड पीठ ने हवाई अड्डे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, गृह विभाग के सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे यह बताए कि सुरक्षा चूक कैसे हुई थी।

4. विमान अधिनियम, 1934 की धारा 5 (ई) और विमान नियम, 1957 के नियम 8 (ए) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यवहार उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम (एन. सी. ए. एस. पी.) के अध्याय 4 में सुरक्षा जांच के

प्रावधान किए हैं।पैरा 2जी जहाज पर चढ़ने से पहले की सुरक्षा जांच से संबंधित है और उन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित करता हैः

i) हैंड बैगेज की मैन्युअल तलाशी;

ii) एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली के माध्यम द्वारा हैंड बैगेज की जांच; और

iii) यात्रियों की तलाशी

कंडिका 4.24 में छूट है और यह निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 4.2.1 सी. ई. 1टेन श्रेणियों के वी. आई. पी./व्यक्तियों को तलाशी लेने और उनके हाथ के सामान की जांच करने से छूट दी गई है यदि वे खुद ले जाते हैं।ऐसे व्यक्तियों की सूची का विवरण सभी संबंधित लोगों को अलग-अलग प्रसारित किया गया है।"

5. 1 मई 2002 को बी. सी. ए. एस. द्वारा एक मेंिपत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने "वी. वी. आई. पी./वी. आई. पी". की श्रेणियों को देश के व्यवहार हवाई अड्डों में उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट (जैसा कि वह बताती है) दी थी।जिन लोगों को छूट दी गई है वे निम्नलिखित हैंः

1) अध्यक्ष

2) उपराष्ट्रपति

3) प्रधानमंत्री

4) पूर्व राष्ट्रपति

5) लोकसभा अध्यक्ष

6) भारत के मुख्य न्यायाधीशाधीश

7) सर्वोच्च न्यायाधीशालय के न्यायाधीशाधीश

8) केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री

9) राज्यों के राज्यपाल।

10) केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

11) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री

12) विदेशों के राजदूत, प्रभारी डी 'अफेयर्स और उच्चायुक्त और उनके जीवनसाथी

13) कैबिनेट सचिव

14) श्रीलंका के समान दर्जे के विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा करना। No.1 से 3,5,6,8 से 10 ऊपर।

15) एस. पी. जी. संरक्षक "

अन्य सभी को उतरने से पहले सुरक्षा जांच के अधीन किया जाता है।

6. 16 सितंबर 2002 को राजस्थान उच्च अदालत के महापंजीयक ने व्यवहार उड्डयन मंत्रालय में केंद्र सरकार के सचिव को संबोधित किया।उपरोक्त परिपत्र का समर्थन करते हुए, पत्र में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायाधीशालय के मुख्य न्यायाधीशाधीश अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में अक्सर जोधपुर और जयपुर के बीच हवाई यात्रा करते हैं और उन्हें विमान में चढ़ने से पहले सुरक्षा जांच से छूट नहीं मिलने से असुविधा हो रही है।महापंजीयक ने वरीयता के आदेश की ओर ध्यान दिया। पत्र का प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

"यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि वरीयता तालिका (26 जुलाई, 1979 को प्रकाशित) के अनुसार, उच्च न्यायाधीशालयों के माननीय मुख्य न्यायाधीश क्रम संख्या 14 पर हैं और उच्च

न्यायाधीशालयों के माननीय न्यायाधीश अपक्रमांक -अपक्रमांक अधिकारिता में क्रम संख्या 20 पर हैं और क्रम संख्या 17 और 20 पर अपक्रमांक -अपक्रमांक आदिकारिता से बाहर हैं। लेकिन उन्हें देश के व्यवहार हवाई अड्डों में उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट नहीं दी गई है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश एक संवैधानिक प्राधिकरण हैं और उन्हें अक्सर जोधपुर से जयपुर तक हवाई मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है और इसके विपरीत उन्हें अपने प्रभु पद के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में यात्रा करनी पड़ती है। इस प्रकार, भारत सरकार के व्यवहार उड्डयन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी देश के व्यवहार हवाई अड्डों पर उड़ान से पहले सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त वी. वी. आई. पी./वी. आई. पी. की सूची में व्यवहार मुख्य न्यायाधीश को शामिल न करने से उनके प्रभु को बहुत असुविधा होगी।

इसलिए, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश दिया जाता है कि कृपया उपरोक्त परिपत्र में तदनुसार संशोधन करें और राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी उन व्यक्तियों की सूची में शामिल करें जिन्हें देश के व्यवहार हवाई अड्डों पर उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई है।"

जवाब में व्यवहार उड्डयन मंत्रालय ने 24 मार्च 2003 को अपने पत्र में बी. सी. ए. एस. के साथ मामले की जांच के बाद अनुरोध मान लेना से इनकार कर दिया। यह कहा गया था कि छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची को "लगातार बढ़ती खतरे की धारणा" को देखते हुए न्यूनतम रखा गया था।इसके बाद, 26 मार्च 2004 को केंद्रीय सरकार में सुरक्षा वर्गीकरण समिति के साथ एक सुरक्षा बैठक आयोजित की गई।इस बैठक के

अनुसरण में बी. सी. ए. एस. द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया था जिसके द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भी छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था।2005 के परिपत्र 2 में निहित सूची इस प्रकार हैः

"I. अध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष

3. प्रधानमंत्री

4. पूर्व राष्ट्रपति

5. लोकसभा अध्यक्ष

6. भारत के मुख्य न्यायाधीशाधीश

7. उच्चतम अदालत

8. न्यायाधीश।केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रैंक

9. राज्यों के राज्यपाल

10. राज्यों के मुख्यमंत्री

11. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

12. केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

13. केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री

14. विदेशों के राजदूत, प्रभारी डी 'अफेयर्स और उच्चायुक्त और उनके जीवनसाथी

15. कैबिनेट सचिव

16. एस. एल. के समान दर्जे के विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा करना। नहीं। यह क्रमांक ख्या ऊपर 3,5,6,8 और 9 है।

17. एस. पी. जी. संरक्षक "

10 अगस्त 2005 को, बी. सी. ए. एस. द्वारा 2005 का परिपत्र 32 जारी किया गया था, जिसमें एक पूर्व परिपत्र का उल्लेख किया गया था, जिसके द्वारा निम्नलिखित को उतरने से पहले की सुरक्षा जांच से छूट दी गई थी।

"I. अध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष

3. प्रधानमंत्री

4. पूर्व राष्ट्रपति

5. लोकसभा अध्यक्ष

6. भारत के मुख्य न्यायाधीशाधीश

7. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

8. लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता

9. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री रैंक

10. राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपसभापति

11. राज्यों के राज्यपाल।

12. राज्यों के मुख्यमंत्री

13. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश

14. केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

15. केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री

16. विदेशों के राजदूत, प्रभारी डी 'अफेयर्स और उच्चायुक्त और उनके पति/पत्नी

17. मंत्रिमंडल सचिव

18. एस. एल. के समान दर्जे के विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का दौरा करना। क्रमांक 1 से 3,5,6,9 और II ऊपर।

19. परम पूज्य दलाई लामा

20. एस. पी. जी. सुरक्षा

21. श्री रॉबर्ट वाड्रा, एसपीजी सुरक्षाकर्मियों के साथ यात्रा करते हुए।

जब तक उच्च न्यायालय ने याचिका पर निराकृत, तब तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट दे दी गई थी।फिर भी, अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीशों को छूट देने का निर्देश जारी किया और फिर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी छूट देने का निर्देश जारी कियाः

उच्च न्यायालय ने कहा किः

"उच्च न्यायाधीशालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को उन व्यक्तियों की सूची में शामिल नहीं करना जिन्हें पूर्व-प्रस्थान से छूट दी गई है।सुरक्षा जाँच, व्यवहार उड्डयन और गृह विभाग उच्च न्यायाधीशालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का दर्जा बनाए रखने में विफल रहे हैं।(जोर दिया गया)

7. उच्च न्यायालय ने जो तर्क दिया वह यह था किः

"छूट के परिपत्र से लोगों का यह भी मानना है कि लगातार बढ़ते आतंकवादी खतरे की धारणा को देखते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की पहले से तलाशी लेना बहुत आवश्यक है।यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की पहले से तलाशी नहीं ली जाती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। व्यवहार उड्डयन और गृह विभाग स्पष्ट रूप से संवैधानिक और सांविधिक अधिकारियों के बीच अंतर का एहसास करने में विफल रहा है और इस प्रकार टी. एन. शेषनवी यूनियन ऑफ इंडिया (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है।"।

उच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि खतरे की धारणा को देखते हुए सभी वी. वी. आई. पी./वी. आई. पी. को "अपने अहंकार का प्रदर्शन किए बिना" उतरने से पहले सुरक्षा जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन अगर उनमें से कुछ व्यक्तियों को छूट दी जाती है तो सभी संवैधानिक अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शर्तों में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए कुछ सुझाव भी तैयार किएः

(i) अतीत के भूतों का पीछा करने के बजाय एक स्पष्ट और सुविचारित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति होनी चाहिए।

((ii) इस संबंध में एजेंसियों को निरीक्षण की उचित शक्तियों के साथ कार्य करने के लिए एक तंत्र।यह सीधे माननीय प्रधानमंत्री के अधीन कोई व्यक्ति या समिति हो सकती है।

(iii) राज्य सरकारों के रंग के बावजूद, राज्य इकाइयों की सेवाओं के सहयोग की मांग करने के लिए प्राधिकरण के साथ असंगठित और असंघटित दोनों तरह के खुफिया समुदाय के कामकाज की देखरेख करने के लिए एक एकल व्यक्ति।

(iv) दोहराव और संसाधनों की बर्बादी से बचने के लिए प्रक्रियाएं।"

इस प्रकार याचिका का निपटारा यह निर्देश देने के लिए किया गया था-(i) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को उन व्यक्तियों की सूची में शामिल करना जिन्हें प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई थी; (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के निर्माण के संबंध में इसके दायित्वों पर विचार करना।

8. केंद्र सरकार अपील कर रही है।

9. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से रिट याचिका पर विचार करके और इन निर्देशों को जारी करके न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर 'बुद्धिमान और स्व-लगाए गए' प्रतिबंधों (जैसा कि उनका वर्णन किया गया है) का उल्लंघन किया है।संगानेर हवाई अड्डे पर सुरक्षा के भंग के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट अपने adhikarita का आह्वान करने का कारण थी।सुरक्षा के मामलों को सरकार के अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जो ऐसा करने के लिए कर्तव्य और दायित्व के साथ निहित हैं।खुफिया जानकारी एकत्र करना, सुरक्षा नीतियों का निर्माण करना, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर निर्णय लेना ऐसे मामले हैं जिन पर अदालतों में विशेषज्ञता की कमी है। सांगानेर हवाई अड्डे में सुरक्षा का भंग निस्संदेह गंभीर चिंता का विषय था और अमेंाधी में मुकदमा चलाने और इस प्रकृति की सुरक्षा चूक के कारणों और निहितार्थ दोनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई होगी।है अभ्यास अधिकारियों को करना था।

न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अदालत ने उस नीति का सुझाव नहीं दिया जिमें वह उचित समझता था।राष्ट्रीय सुरक्षा नीति तैयार करने के लिए उच्च अदालत द्वारा सुझावों का निर्माण न्यायिक पुनर्विलोकन के वैध क्षेत्र से बहुत आगे निकल गया।ऐसी नीति का निर्माण उन सूचनाओं और सूचनाओं पर आधारित होता है जो अदालत को उपलब्ध नहीं होती हैं।अदालत ऐसे मामलों में विशेषज्ञ नहीं है। न्यायिक पुनर्विलोकन कार्यकारी कार्रवाई की वैधता से संबंधित है और अदालत केवल वहीं हस्तक्षेप कर सकती है जहां कानून का भंग या संविधान का भंग हो।

10. उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई प्रकृति का स्वतः संज्ञान अभ्यास कार्यपालिका के क्षेत्र का अतिक्रमण करता है।कानून के शासन पर आधारित लोकतंत्र में सरकार विधायिका और उसके माध्यम द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेह होती है।अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि कहीं भी अन्याय की उत्पत्ति हो सकती है। इन शक्तियों को उदारता से समझा गया है और जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वहां इन्हें व्यापक रूप से लागू किया गया है।लेकिन, अन्यायाधीश की धारणा कानून के तहत न्यायाधीश से संबंधित है।न्यायाधीश किसी निर्णय निर्माता की व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि संतुलनकारी समाधान कहाँ होना चाहिए।न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे मानकों को लागू करें जो उद्देश्यपूर्ण और कानून द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित हैं और संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित हैं।जब वे ऐसा करते हैं, तो न्यायाधीश अच्छी तरह से यात्रा की गई सड़क पर चलते हैं।जब न्यायिक रचनात्मकता न्यायाधीशों को न्याय की तलाश में कम यात्रा करने वाले मार्गों की ओर ले जाती है, तो वे अभी भी कानून और संविधान में मजबूती से टिके हुए हैं।न्यायिक शक्ति की पवित्रता को बनाए रखने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के भीतर और बाहर क्या है, इसके बीच का अंतर आवश्यक है।न्यायिक शक्ति का सम्मान किया जाता है और कानून के नियम पर

आधारित एक प्रणाली में इसका पालन किया जाता है, ठीक इसके सूक्ष्म और संयमित अभ्यास के लिए।यदि गंभीर प्रतिबंधों को बनाए नहीं रखा जाता है, तो अदालत एक संस्था के रूप में एक ऐसे क्षेत्र पर अतिक्रमण की न्यायोचित आलोचना को आमंत्रित करेगी, जिस पर उसके पास विशेषज्ञता का अभाव है और जिसे शासन के लिए सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों को सौंपा गया है।निर्णयों को लागू किया जाता है, सबसे बढ़कर, इस विश्वास के कारण कि समाज और एडमोक्रेटिक समाज के शासन के हथियार न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता में हैं।यह पवित्रता संस्थागत प्रतिष्ठा पर आधारित है।न्यायिक शक्ति के एक सुनियोजित प्रयोग के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता द्वारा संस्थागत प्राधिकरण लंबे वर्षों में स्थापित किया जाता है।परिणामों का डर एक कारण है कि नागरिक कानून के साथ-साथ न्यायिक निर्णयों का भी पालन करते हैं।लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं, इसके कहीं अधिक मजबूत कारण हैं और इसकी नींव को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए।वह।यह इस सिद्धांत का तर्क है कि न्यायिक पुनर्विलोकन उन मामलों तक ही सीमित है जहां कानून या संविधान का भंग होता है।राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय एक ऐसे मामले का उदाहरण है जिसमें न्यायालय को प्रवेश नहीं करना चाहिए था।

11. जब तक राजस्थान उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा था, तब तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उन व्यक्तियों की सूची में शामिल करने के लिए छूट की सूची में संशोधन कर दिया गया था जिन्हें पूर्व-प्रस्थान सुरक्षा से छूट दी गई थी।यह मानते हुए भी कि इस तरह के मामले में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप पहले स्थान पर लागू किया जा सकता था (हालांकि हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था) मामला वहीं रुकना चाहिए था।जिस कारण के लिए स्वतः संज्ञान याचिका पंजीकृत की गई थी, उसे पीछे छोड़ दिया गया था और जिस प्रकरण के कारण अधिकारिता का आह्वान मिला था, उसे अंतिम निर्देशों में कोई स्थान नहीं मिला।उच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल करने का निर्देश उसी आधार से असंबंधित था जिस पर अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता को लागू किया गया था।लेकिन इसके अलावा, एक और अधिक मौलिक कारण है कि क्यों मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और इस प्रकृति के निर्देश जारी नहीं किए जाने चाहिए थे।सुरक्षा के मामले प्रतिष्ठा के मुद्दे नहीं हैं।वे 'स्थिति' के मामले नहीं हैं।केंद्र सरकार ने यह रुख अपनाया है कि यह मुद्दा कि क्या उड़ान से पहले सुरक्षा छूट दी जानी चाहिए, केवल प्राथमिकता के वारंट पर निर्भर नहीं करता है।जिन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, उनमें से एक यह है कि सरकार के अनुसार, जिस व्यक्ति को उतरने से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई है, उसे 24x7 आधार पर सरकारी सुरक्षा के ऐसे स्तर द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो किसी भी निषिद्ध या खतरनाक वस्तुओं की संभावना को वस्तुतः रोक देगा।केंद्र सरकार की सुरक्षा धारणा यह है कि किसी गणमान्य व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जा सकती है यदि वह 24x7 के आधार पर प्रभावी सरकारी सुरक्षा कवरेज के तहत नहीं है।भारत में विदेशी मिशनों के प्रमुखों को पारस्परिक आधार पर प्रस्थान से पहले सुरक्षा जांच से छूट दी गई है।इन कार्यवाही में छूट प्राप्त व्यक्तियों की सूची में किसी विशेष व्यक्ति के नाम को शामिल करने की वैधता या औचित्य पर निर्णय लेने के लिए हमें नहीं बुलाया जाता है।हमने ऊपर जो कहा है वह इस बात पर जोर देने के लिए है कि केंद्र सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा धारणाओं के एक सुविचारित मूल्यांकन पर आधारित है और इसमें उस तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था जो उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकारिता के प्रयोग में किया था।

12. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 13 मई 2005 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को खारिज कर देते हैं।उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका तदनुसार खारिज हो जाएगी।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

टी. पी. (सी) क्रमांक 75 का 2012

13. यह स्थानांतरण याचिका सुरक्षा आयुक्त (नागरिक उड्डयन), बी. सी. ए. एस. द्वारा शुरू की गई है। स्थानांतरण याचिका 12 मई 2011 के एक आदेश के संदर्भ में उत्पन्न हुई है, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा किया गया था।उच्च न्यायालय का आदेश रिट याचिका 1949/एस/एस/2000 में 11 अप्रैल 2007 के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश से उत्पन्न एक विशेष अपील में पारित किया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही अनुशासन कार्यवाही से उत्पन्न हुई थी।

14. स्थानांतरण याचिका के अभिलेख में संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने विशेष अपील के दौरान कुछ टिप्पणियां की हैं

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को नोटिस जारी करते हुए।चूँकि उच्च न्यायालय ने ये टिप्पणियां एक ऐसे मामले में की हैं जो विशेष अपील में शामिल मुद्दे से असंबंधित है, इसलिए हम राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर सिविल अपील का निपटारा करते समय ऊपर बताए गए सिद्धांतों की ओर उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हैं।उपरोक्त निर्णय की एक प्रति उच्च न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अपील के अभिलेख पर रखी जाएगी। यदि विशेष अपील अभी भी उच्च न्यायालय की फाइल पर बनी हुई है, तो उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा और तदनुसार विशेष अपील का निपटारा करना।

15. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने विशेष अपील के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।स्थानांतरण याचिका का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील को स्वीकार कर लिया गया और टी. पी. का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।